

## अध्याय 5

### व्यापार और वाणिज्य

व्यापार और वाणिज्य ने कर राजस्व उपलब्ध करा कर और समाज के एक बड़े वर्ग को लाभकारी रोजगार देकर दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। दिल्ली उत्तर भारत में सबसे बड़ा व्यापार और उपभोग केंद्र है। इसने व्यापार के प्रवेशद्वार के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है यानी इसकी आर्थिक गतिविधियों का बड़ा हिस्सा कहीं और उत्पादित तथा स्थानीय बिक्री के अलावा अन्य राज्यों को भेजे जाने के लिये लाये गये सामानों के पुनः वितरण से जुड़ा है। अपनी भौगोलिक स्थिति और अन्य ऐतिहासिक तथ्यों तथा बुनियादी ढांचा सुविधाओं की उपलब्धता के कारण दिल्ली ने एक प्रमुख वितरण केंद्र का दर्जा हासिल कर लिया है। यह इस तथ्य से प्रमाणित है कि दिल्ली में आयातित ईंधन का 49 प्रतिशत, खाद्यान्न का 47 प्रतिशत, लोहा और इस्पात का 44 प्रतिशत तथा फल और सब्जियों की आवक का 78 प्रतिशत देश के अन्य भागों के साथ साथ बाहरी देशों को भी निर्यात किया जाता है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 दस्तावेज यह तथ्य सामने रखता है कि दिल्ली के थोक बाजारों में विशेषकर कपड़ा, वाहनों के कलपुर्जे और मशीनरी, स्टेशनरी, खाने पीने की चीजें तथा लोहा और स्टील सहित लगभग 27 वस्तुओं का व्यापार होता है।

#### 2. गैर कृषि उत्पादों में व्यापार

- 2.1. गैर कृषि उत्पादों का "विकास के लिये व्यापार" कार्यक्रम (टीडीपी) मजबूत औद्योगिक आधार बनाये रखने में विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाने के लिये व्यापार उदारीकरण, उनके आर्थिक ढांचे में विविधता लाने, वैश्विक व्यापार के गतिशील क्षेत्रों में भागीदारी तथा औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार सृजन पर ध्यान देता है। इसके लिये अंतरराष्ट्रीय बाजार में विकासशील देशों के निर्यात की पहुंच बढ़ाने, शुल्क, सबसिडी, स्थानीय विषय और निष्पादनगत आवश्यकताओं, निर्यात करों और नियमों के उपयोग की क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान देता है। मूल्य संवर्द्धित कर (वैट), जनगणना से प्राप्त कार्यबल डेटा और राज्य सकल घरेलू उत्पाद अनुमान इस क्षेत्र के सापेक्षिक महत्व का सार्थक आकलन उपलब्ध कराते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 (अग्रिम अनुमान) के दौरान दिल्ली में व्यापार, होटल और रेस्त्रां से प्रचलित मूल्य पर 117417 करोड़ रुपये की आय हुई, जो दिल्ली के सकल राज्य मूल्य संवर्द्धित (आधार वर्ष 2011-12) का लगभग 12.81 प्रतिशत है। पिछले 12 वर्ष के दौरान भी दिल्ली के सकल राज्य मूल्य संवर्द्धित में इस क्षेत्र का योगदान 10 प्रतिशत से अधिक रहा है। दिल्ली में दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर के तहत पंजीकृत डीलरों की संख्या और प्राप्तियों की जानकारी विवरण 5.1(क) और 5.1 (ख) में दी गयी है।
- 2.2. विवरण 5.1(क) और 5.1 (ख) से देखा जा सकता है कि दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (डीवीएटी) के तहत पंजीकृत डीलरों की संख्या, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत डीलरों को छोड़कर, 2007-08 के 177661 से बढ़कर 2021-22 में 1190976 हो गयी। इसी अवधि के दौरान राजस्व बढ़कर 8744.39 करोड़ रुपये से 41214.82 करोड़ रुपये हो गया।

### विवरण 5.1 (क)

दिल्ली में बिक्री कर अधिनियम/डीएवीटी/जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत डीलरों की संख्या

वर्ष	पंजीकृत डीलरों की संख्या			
	स्थानीय कानून के तहत	केंद्रीय कानून के तहत	डी वैट	जीएसटी
2007-08	206359	177661	-	-
2008-09	212665	183918	-	-
2009-10	223927	195466	-	-
2010-11	234839	205623	-	-
2011-12	248829	219187	-	-
2012-13	286951	255901	-	-
2013-14	250450	231678	-	-
2014-15	283139	262438	-	-
2015-16	308534	295318	-	-
2016-17	400156	373090	-	-
2017-18	-	-	6803	653041
2018-19	-	-	350	809827
2019-20	-	-	257	946688
2020-21	-	-	लागू नहीं	1052849
2021-22	-	-	2622	1190976

### विवरण 5.1 (ख)

दिल्ली में बिक्री कर अधिनियम/डीएवीटी/जीएसटी के अंतर्गत प्राप्तियां

क्र. सं.	वर्ष	कर संग्रहण (सकल)				कुल
		स्थानीय बिक्री कर	केंद्रीय बिक्री कर	एसजीएसटी*	आईजीएसटी	
1.	2007-08	7528.89	1215.50	-	-	8744.39
2.	2008-09	8833.44	1125.68	-	-	9959.12
3.	2009-10	10065.41	1892.91	-	-	11958.32
4.	2010-11	11365.88	3071.96	-	-	14437.84
5.	2011-12	12614.82	2150.25	-	-	14765.07
6.	2012-13	14489.26	1727.42	-	-	16216.68
7.	2013-14	16499.72	1748.68	-	-	18248.4
8.	2014-15	16596.65	1983.68	-	-	18580.33
9.	2015-16	18418.35	4654.16	-	-	23072.51
10.	2016-17	19718.33	2943.62	-	-	22661.95
11.	2017-18 #	11135.18	1802.51	8121.65	5659.95	26719.29
12.	2018-19 \$	6157.10	182.10	15052.16	8608.28	29999.64
13.	2019-20 @	5810.58	149.83	19424.70	7896.78	33281.89
14.	2020-21 *	4445.11	135.49	20290.51	7672.61	32543.72
15.	2021-22 **	5079.11	169.97	11328.54	11998.58	41214.82

स्रोत- व्यापार और कर विभाग, रा.रा.क्ष. दिल्ली सरकार

# 690.53 करोड़ रुपये की राशि उपरोक्त केंद्रीय बिक्री कर आंकड़े में शामिल है, जो वर्ष 2017-18 के दौरान केंद्रीय बिक्री कर के तहत भारत सरकार से मुआवजे के रूप में प्राप्त हुई और 157.00 करोड़ रुपये की राशि एसजीएसटी कर आंकड़े में शामिल है, जो भारत सरकार से वर्ष 2017-18 के दौरान मुआवजे के रूप में प्राप्त हुई।

\$ 4182.00 करोड़ रुपये की राशि एसजीएसटी कर आंकड़े में शामिल है, जो भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के रूप में वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त हुई।


@ 7436.00 करोड़ रुपये की राशि एसजीएसटी कर आंकड़े में शामिल है, जो भारत सरकार से मुआवजे के रूप में प्राप्त होता है।

\* वर्ष 2020-21 के दौरान 5521.66 करोड़ रुपये भारत सरकार से मुआवजे के रूप में और 5865.00 करोड़ रुपये मुआवजे से ऋण के रूप में शामिल है।

\*\* वर्ष 2021-22 के दौरान 6445.95 करोड़ रुपये भारत सरकार से मुआवजे के रूप में और 6192.67 करोड़ रुपये मुआवजे से ऋण के रूप में शामिल है।


### चार्ट 5.1 (क)

दिल्ली में 2006-07 से 2016-17 तक बिक्री कर अधिनियम के तहत पंजीकृत डीलरों की संख्या




### चार्ट 5.1 (ख)

दिल्ली में 2017-18 से 2021-22 तक डीवीएटी/जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत डीलरों की संख्या




**चार्ट 5.2 (क)**  
2006-07 से 2016-17 तक प्राप्तियां (स्थानीय और केंद्रीय बिक्री कर)

(करोड़ रुपये में)



**चार्ट 5.2 (ख)**  
2017-18 से 2021-22 तक प्राप्तियां (स्थानीय, बिक्री कर, एसजीएसटी, जीएसटी)

(करोड़ रुपये में)



### 3. आर्थिक गणना

- 3.1. आर्थिक गणना किसी निर्दिष्ट समय में किसी राज्य/देश की भौगोलिक सीमा के भीतर संचालित उद्यम संबंधी समस्त गतिविधियों की संपूर्ण गणना है जिससे उद्यमों की आधिकारिक गणना और उनकी विशेषताओं का पता चलता है। उद्यम गतिविधियों का अर्थ है उन वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन और/या वितरण से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां जिनका उत्पादन केवल स्वयं के उपभोग के लिये नहीं किया जा रहा है। फसल उत्पादन और पौधरोपण, लोक प्रशासन, रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों को छोड़कर, सभी आर्थिक गतिविधियां—कृषि या गैर कृषि उत्पादन और/या वितरण और सेवाओं से जुड़ी गतिविधियां इसके दायरे में आती हैं। आर्थिक गणना में शामिल गैर कृषि गतिविधियों में खनन और उत्खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस और जलापूर्ति, मल जल निकासी, कचरा प्रबंधन, निर्माण, खुदरा और थोक व्यापार, परिवहन और भंडारण, निवास और भोजन व्यवस्था सेवा, सूचना और संचार, वित्तीय और बीमा, रियल एस्टेट, व्यावसायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, प्रशासनिक और सहयोग सेवा, शिक्षा, मानव स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य, कला और मनोरंजन आदि क्षेत्र आते हैं।
- 3.2. छठी आर्थिक गणना केन्द्रीय क्षेत्र की योजना थी, जिसे वर्ष 2013 के दौरान दिल्ली के अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय ने कार्यान्वित किया। इसमें दिल्ली की भौगोलिक सीमा में कृषि क्षेत्र की सभी उद्यम गतिविधियां (फसल उत्पादन और पौधरोपण को छोड़कर) और गैर-कृषि गतिविधियां शामिल हैं। वर्ष 2013 में रा.रा. क्षेत्र दिल्ली में संचालित प्रतिष्ठानों की संख्या 8,75,308 थी। इनमें से केवल 1.42 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में थे जबकि शेष 98.58 प्रतिशत शहरी इलाकों में थे। छठी आर्थिक गणना में दिल्ली की वार्षिक वृद्धि दर 1.94 प्रतिशत रही। लेकिन 2005 की आर्थिक गणना के मुकाबले 1,17,565 प्रतिष्ठान इकाइयों की वृद्धि हुई। कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में इकाइयों की संख्या की दृष्टि से 7008 (0.80 प्रतिशत) इकाइयां कृषि क्षेत्र में और 8,68,300 (99.20 प्रतिशत) गैर-कृषि क्षेत्र में थी। कुल प्रतिष्ठानों में से 4,77,498 (54.55 प्रतिशत) स्व कार्यरत उद्यम (ओएई) वाले उपग्र थे जबकि 3,97,810 (45.45 प्रतिशत) में कम से कम एक व्यक्ति (प्रतिष्ठान-एच) वैतनिक कामगार था। विभिन्न प्रतिष्ठानों में नियोजित व्यक्तियों से पता चलता है कि 30,19,781 लोग 8,75,308 प्रतिष्ठानों में, 3.45 कर्मचारी प्रति प्रतिष्ठान के औसत से नियोजित थे। कुल कामगारों में से 27,610 (0.91 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित थे जबकि 29,92,171 (99.09 प्रतिशत) दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे थे। प्रतिष्ठानों के प्रकार की दृष्टि से 19.72 प्रतिशत ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत थे जिनमें और कोई व्यक्ति पारिश्रमिक पर कामगार नहीं था यानी ये ओएई श्रेणी के प्रतिष्ठान थे और 80.28 प्रतिशत ऐसे में नियोजित थे जिनमें कम से कम एक कामगार पारिश्रमिक पर था। पारिश्रमिक पर कामगार वाले प्रतिष्ठानों में औसतन 6.09 व्यक्ति एक प्रतिष्ठान में नियोजित थे जबकि ओएई प्रतिष्ठानों में यह संख्या 1.25 थी।

## विवरण 5.2

### प्रतिष्ठानों और कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों का प्रकार	प्रतिष्ठानों की संख्या		
		ग्रामीण	शहरी	कुल
1	कृषि प्रतिष्ठान (फसल उत्पादन और बागान को छोड़कर)			
(क)	सभी प्रतिष्ठान	1,144	5,864	7,008
	i) स्वयं कार्यरत उद्यम	825	3,560	4,385
	ii) प्रतिष्ठान-एच	319	2,304	2,623
(ख)	सामान्यत कार्यरत व्यक्ति			
	i) कुल	2,761	13,763	16,524
	ii) वैतनिक	661	4,995	5,656
	iii) औसत कर्मचारी	2.41	2.35	2.36
II	गैर कृषि प्रतिष्ठान			
(क)	सभी प्रतिष्ठान	11,297	8,57,003	8,68,300
	i) स्वयं कार्यरत उद्यम	8,090	4,65,023	4,73,113
	ii) प्रतिष्ठान-एच	3,207	3,91,980	3,95,187
(ख)	सामान्यत कार्यरत व्यक्ति			
	i) कुल	24,849	29,78,408	30,03,257
	ii) वैतनिक	11,483	19,76,251	19,87,734
	iii) औसत कर्मचारी	2.20	3.48	3.46
III	कृषि एव गैर कृषि प्रतिष्ठान			
(क)	सभी प्रतिष्ठान	12,441	8,62,867	8,75,308
	i) स्वयं कार्यरत उद्यम	8,915	4,68,583	4,77,498
	ii) प्रतिष्ठान-एच	3,526	3,94,284	3,97,810
(ख)	सामान्यत कार्यरत व्यक्ति			
	i) कुल	27,610	29,92,171	30,19,781
	ii) वैतनिक	12,144	19,81,246	19,93,390
	iii) औसत कर्मचारी	2.22	3.47	3.45

स्रोत : छठी आर्थिक गणना रिपोर्ट

इसके अतिरिक्त प्रमुख आर्थिक गतिविधि-समूह के आधार पर रोजगार और प्रतिष्ठान का वितरण विवरण 5.3 में दर्शाया गया है।

विवरण 5.3

प्रमुख आर्थिक गतिविधि समूहवार प्रतिष्ठानों और रोजगार का वितरण

प्रमुख आर्थिक गतिविधि समूह	प्रतिष्ठान			रोजगार		
	ओएई	प्रतिष्ठान-एच	कुल	ओएई	प्रतिष्ठान-एच	कुल
<b>कृषि गतिविधियां</b>						
फसल उत्पादन और बागान से भिन्न कृषि संबंधी गतिविधियां	115	120	235	162	588	750
पशुधन	4,202	2,423	6,625	7,409	7,797	15,206
वानिकी और लठा बनाना	35	65	100	42	435	477
मत्स्य उद्योग और जलजीव पालन	33	15	48	47	44	91
<b>उप-जोड़ (1)</b>	<b>4,385</b>	<b>2,623</b>	<b>7,008</b>	<b>7,660</b>	<b>8,864</b>	<b>16,524</b>
<b>गैर-कृषि गतिविधियां</b>						
खनन और उत्खनन	-	-	-	-	-	-
विनिर्माण	58,318	97,632	1,55,950	86,397	916,616	1,003,013
विद्युत गैस स्टीम और एयरकंडिशनिंग आपूर्ति	383	927	1,310	475	15,836	16,311
जलापूर्ति, सीवरेज, कचरा प्रबंधन और सुधार गतिविधियां	1,106	725	1,831	1,496	5,807	7,303
निर्माण	21,972	3,124	25,096	24,413	17,608	42,021
थोक बिक्री व्यापार, खुदरा व्यापार और मोटर वाहन एवं मोटर साइकिल मरम्मत	7,536	19,864	27,400	9,882	89,462	99,344
थोक बिक्री व्यापार (जो उपरोक्त में कवर न किया गया हो)	10,344	21,114	31,458	13,311	96,323	109,634
खुदरा व्यापार (जो ऊपर कवर न किया गया हो)	1,95,779	1,16,051	3,11,830	240,456	407,043	647,499
परिवहन और भंडारण	53,148	19,424	72,572	56,618	122,384	179,002
आवास और खाद्य सेवा गतिविधियां	28,312	19,739	48,051	35,236	106,481	141,717
सूचना और संचार	5,524	5,433	10,957	6,643	47,524	54,167
वित्तीय और बीमा गतिविधियां	2,542	6,507	9,049	2,964	59,449	62,413
स्थावर संपदा गतिविधियां	13,804	9,327	23,131	16,550	29,502	46,052
व्यावसायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियां	5,708	13,132	18,840	6,802	90,377	97,179
प्रशासनिक और सहायता सेवा गतिविधियां	4,882	10,110	14,992	6,886	67,567	74,453
शिक्षा	15,037	11,791	26,828	18,340	122,846	141,186
मानव स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य गतिविधियां	5,520	10,919	16,439	6,625	111,627	118,252
कला, मनोरंजन, खेल और मनोविनोद एवं मनोरंजन	1,807	1,206	3,013	2,403	9,583	11,986
अन्य सेवा गतिविधियां जो अन्यत्र वर्गीकृत न की गई हों	41,391	28,162	69,553	52,280	99,445	151,725
<b>उप-जोड़ (2)</b>	<b>4,73,113</b>	<b>3,95,187</b>	<b>8,68,300</b>	<b>587,777</b>	<b>2,415,480</b>	<b>3,003,257</b>
<b>कुल (एसटी) (1)+(एसटी) (2)</b>	<b>4,77,498</b>	<b>3,97,810</b>	<b>8,75,308</b>	<b>5,95,437</b>	<b>24,24,344</b>	<b>30,19,781</b>

स्रोत : छठी आर्थिक गणना रिपोर्ट

## 4. दिल्ली में असंगठित क्षेत्र की भूमिका

### 4.1. व्यापार क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय ने 1997 में भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 53वें दौर (राज्य प्रतिदर्श) के तहत दिल्ली में असंगठित व्यापारिक गतिविधियों का सर्वेक्षण कराया। सर्वेक्षण में दो प्रकार के उद्यमों को शामिल किया गया, स्व कार्यरत व्यापारिक उद्यम—यानी परिवार के सदस्यों द्वारा बिना वैतनिक कामगार लगाए चलाये जा रहे उद्यम और नॉन डायरेक्टरी व्यापारिक उद्यम, यानी ऐसे उद्यम जिनमें कम से कम एक वैतनिक कामगार नियमित आधार पर बाहर से लिया गया था, लेकिन परिवार के सदस्यों सहित 6 से कम कामगार कार्यरत थे। सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि दिल्ली में असंगठित व्यापारिक उद्यमों की कुल संख्या 1.99 लाख थी और उनमें 3.18 लाख व्यक्ति नियोजित थे। दिल्ली की अर्थ व्यवस्था में इस क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्द्धित योगदान 1.01 लाख प्रति उद्यम प्रति वर्ष मापा गया। 1997 के बाद इस सेक्टर में इस संदर्भ में कोई प्रतिदर्श सर्वेक्षण नहीं कराया गया।

### 4.2. विनिर्माण क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय ने वर्ष 2005–06 के दौरान, भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 62वें दौर (राज्य प्रतिदर्श) के तहत दिल्ली में असंगठित विनिर्माण उद्यमों का सर्वेक्षण कराया। इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2005–06 में असंगठित विनिर्माण उद्यमों की संख्या 1.01 लाख थी और इनमें से 15040 (15 प्रतिशत) स्व कार्यरत उद्यम—ओएई (यानी ऐसे उद्यम जिनमें कोई वैतनिक कामगार नहीं लगाया गया था) थे और 85700 (85 प्रतिशत) ऐसे प्रतिष्ठान थे, जिनमें कम से कम एक वैतनिक कामगार था। असंगठित विनिर्माण क्षेत्र में कुल 4.82 लाख कर्मचारी नियोजित थे। असंगठित विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य संवर्धन प्रति वर्ष प्रति उद्यम 3.26 लाख रुपये मूल्य का हुआ। इस क्षेत्र में प्रति श्रमिक प्रति वर्ष मूल्य संवर्धन करीब 0.68 लाख रुपये रहा। ओएई क्षेत्र में प्रति उद्यम प्रति वर्ष मूल्य संवर्धन 0.81 लाख रुपये और प्रतिष्ठानों में 3.69 लाख रुपये रहा।

### 4.3. सेवा क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय ने जुलाई 2006 और जून 2007 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 63वें दौर (राज्य प्रतिदर्श) के अंतर्गत असंगठित सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में सर्वेक्षण कराया। इस क्षेत्र में कुल उद्यमों की संख्या 239447 थी और इनमें से 147281 (61.51 प्रतिशत) स्व कार्यरत उद्यम (यानी ऐसे उद्यम जिनमें कोई वैतनिक कामगार नहीं था) था और 92166 (38.49 प्रतिशत) ऐसे थे, जिनमें कम से कम एक वैतनिक कामगार लगाया गया था। असंगठित सेवा क्षेत्र में कुल 6.44 लाख कर्मचारी नियोजित थे। असंगठित सेवा क्षेत्र में सकल मूल्य संवर्धन प्रति उद्यम प्रति वर्ष 2.87 लाख रुपये मूल्य का हुआ। इस क्षेत्र में प्रति कामगार प्रति वर्ष मूल्य संवर्धन करीब 106895 रुपये रहा। ओएई उद्यमों में प्रति श्रमिक प्रति वर्ष मूल्य संवर्धन 70372 रुपये और प्रतिष्ठानों में 119996 रुपये रहा।

#### 4.4. गैर-निगमित गैर-कृषि उद्यमों (विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र) का सर्वेक्षण

गैर-निगमित गैर-कृषि क्षेत्र के उद्यमों (विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र) के लिए जुलाई 2015 से जून 2016 तक कराए गये 73वें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार ऐसे उद्यमों की संख्या 810722 थी। क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है:

प्रमुख गतिविधि श्रेणी	उद्यमों की संख्या								
	ग्रामीण			शहरी			दिल्ली		
	ओएई	प्रतिष्ठान	सभी	ओएई	प्रतिष्ठान	सभी	ओएई	प्रतिष्ठान	सभी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
विनिर्माण	2950	160	3110	45154	69854	115008	48104	70014	118118
व्यापार	5553	2314	7867	214565	208132	422697	220118	210446	430564
अन्य सेवाएं	7599	3052	10651	160512	90877	251389	168111	93929	262040
कुल	16102	5526	21628	420231	368863	789094	436333	374389	810722
कुल का प्रतिशत	1.99	0.68	2.67	51.83	45.50	97.33	53.82	46.18	100

इन उद्यमों में आमतौर पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या 19.60 लाख थी। क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

प्रमुख गतिविधि श्रेणी	प्रत्येक व्यापक गतिविधि श्रेणी के लिए उद्यम प्रकार और क्षेत्र द्वारा श्रमिकों की संख्या								
	ग्रामीण			शहरी			दिल्ली		
	ओएई	प्रतिष्ठान	सभी	ओएई	प्रतिष्ठान	सभी	ओएई	प्रतिष्ठान	सभी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
विनिर्माण	2957	1449	4405	60817	357028	417846	63774	358477	422251
व्यापार	5744	5783	11527	280090	664567	944657	285834	670350	956184
अन्य सेवाएं	7906	7191	15098	194957	371679	566636	202863	378870	581734
कुल	16607	14423	31030	535865	1393274	1929139	552471	1407697	1960169

सर्वेक्षण के अनुसार आय और उत्पाद दृष्टिकोण पर आधारित क्षेत्रवार मासिक, प्रति उद्यम और प्रति श्रमिक सकल मूल्य सवर्धन (जीवीए) (रुपये में) नीचे दिया गया है :

गतिविधि	घटक आय दृष्टिकोण		उत्पाद दृष्टिकोण	
	जीवीए/उद्यम	जीवीए/श्रमिक	जीवीए/उद्यम	जीवीए/श्रमिक
विनिर्माण	672626	188156	677522	189526
व्यापार	626532	271405	632173	273848
अन्य सेवाएं	480529	216411	484457	218180
सभी	573438	237151	578303	239163

#### 5. कृषि उत्पादों का विपणन

5.1. आधुनिक विपणन व्यवस्था के अंतर्गत कृषि उपज को उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले एक हाथ से दूसरे हाथ तक यानी हस्तांतरण या विनिमय की समूची शृंखला से गुजरना पड़ता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कृषि विपणन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, जो बिक्री योग्य कृषि उत्पाद पैदा करने के निर्णय से आरंभ होती है और उसमें प्रणाली की विपणन व्यवस्था के सभी पक्ष,

कार्यात्मक और संस्थागत, दोनों शामिल होते हैं। ये तकनीकी और आर्थिक कसौटी पर आधारित होते हैं और उनमें फसल बुआई से पहले और कटाई बाद के तमाम कार्य जैसे फसल समेटना, उसकी ग्रेडिंग करना, भंडारण, ढुलाई और वितरण शामिल हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसमें तीन महत्वपूर्ण कार्यों को शामिल माना है:

- संग्रहण या असेम्बलिंग (संकेंद्रण)
- उपभोग के लिए तैयार करना (प्रोसेसिंग) और
- वितरण

5.2. दिल्ली में कृषि उपज का विपणन, विनियमित बाजारों के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए कृषि उपज विपणन (नियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (डीएएमबी) नाम के शीर्ष संगठन की स्थापना 1977 में की गयी थी। 1998 में इस अधिनियम के स्थान पर नया अधिनियम लाया गया। बोर्ड विभिन्न कृषि उपज मंडियों की देख-रेख और उन पर नियंत्रण का काम करता है तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास के जरिए कृषि उपज के बेहतर विपणन को प्रोत्साहित करता है। इस समय दिल्ली में 7 प्रमुख थोक मंडियां काम कर रही हैं। ये हैं:

1. कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी), (एमएनआई) आजादपुर
2. कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी), नरेला
3. कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी), नजफगढ़
4. कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी), केशोपुर
5. कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी), शाहदरा
6. एफपी एंड ईएमसी, गाजीपुर
7. फूल बाजार, महरौली

## 6. दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (डीएएमबी)

6.1 डीएएमबी की स्थापना 1977 में दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (नियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत की गयी थी। बाद में इसका स्थान दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (नियमन) अधिनियम, 1998 ने ले लिया। यह अधिनियम कृषि उपज के क्रय-विक्रय और भंडारण तथा प्रसंस्करण के बेहतर विनियमन और नियमन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कृषि-उपज मंडियों और उनसे जुड़े बाजारों की स्थापना या प्रासंगिक गतिविधियों के लिए की गयी थी। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कृषि उत्पादों की व्यापारिक गतिविधि को नियमित करने के लिए एक संगठनात्मक ढांचे की व्यवस्था की गयी है। दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड इस संगठनात्मक व्यवस्था में शीर्षस्थ निकाय है और इसके प्रमुख कार्यों में संबद्ध क्षेत्रों के लिए मंडियों में सामान्य सुधारों की व्यवस्था करना और कृषि उपज के लिए ग्रेडिंग एवं मानकीकरण सुविधाएं प्रदान करना शामिल हैं। दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (डीएएमबी) की वित्तीय स्थिति मजबूत है और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता या अनुदान की आवश्यकता नहीं पड़ती। डीएएमबी की पिछले 9 वर्षों की आय और व्यय संबंधी जानकारी विवरण 5.4 में दी गई है।

### विवरण 5.4

#### 2013-14 से 2021-22 के दौरान दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)


क्र.स.	ब्यौरा	वर्ष								
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	आय	3559.46	2814.13	2563	2298.02	3425.39	2454.26	5893.27	5122.55	4684.32
2.	व्यय	1853.84	1356.69	1876.89	2911.59	3263.47	1708.30	3330.69	3370.24	3710.11
3.	लाभ/हानि	1705.62	1457.44	686.11	(-) 613.57	161.92	745.96	2562.58	1752.31	974.21

- 6.2 विवरण 5.4 से पता चलता है कि पिछले 4 वर्षों में दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड की वित्तीय स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। वर्ष 2021-22 में डीएएमबी की आय उससे पिछले वर्ष की 51.23 करोड़ रुपये से घटकर 46.84 करोड़ रुपये रह गयी। इसी प्रकार इसका लाभ भी 2021-22 में घटकर 9.74 करोड़ रुपये रह गया जो इससे पिछले वर्ष 17.52 करोड़ रुपये था। उपर्युक्त वित्तीय विवरण बाजार की मजबूत स्थिति दर्शाता है।

### चार्ट 5.3

#### 2013-14 से 2021-22 के दौरान डीएएमबी की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)



### 7. कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी), (एमएनआई) आजादपुर (राष्ट्रीय महत्व का बाजार)

- 7.1 कृषि उपज विपणन समिति के अंतर्गत आजादपुर फल एवं सब्जी मंडी एशिया में फल और सब्जियों की सबसे बड़ी मंडी है। यह विश्व की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। आजादपुर मंडी सेब, केला, संतरा, और आम जैसे फलों और आलू, प्याज, लहसुन, तथा अदरक जैसी सब्जियों के राष्ट्रीय वितरण केन्द्र के रूप में काम करती है। समिति किसानों के लिए उत्पादक शेड भी उपलब्ध कराती है, ताकि वे अपनी उपज वहां लाकर सीधे खरीददारों को बेच सकें और इस तरह बिचौलियों का


हस्तक्षेप समाप्त किया जा सके। पिछले नौ वर्षों के दौरान इस मंडी की वित्तीय स्थिति की जानकारी विवरणी 5.5 में दी गई है:

**विवरण 5.5**  
**2012-13 से 2021-22 की अवधि में आजादपुर एपीएमसी की वित्तीय स्थिति**  
(लाख रुपये में)

क्र.स.	श्रेणी	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
I	आय	13344.42	13805.1	14793.79	15308.66	14041.02	14326.88	16317.68	14290.10	13266.95
II	व्यय	17952.92	9713.16	9799.24	7103.57	8256.61	11472.61	9396.013	11455.84	11598.51
III	लाभ/हानि	(-4608.5)	4092.05	4994.55	8205.09	5784.41	2854.27	6921.663	2834.26	1668.44
IV.	आवक (लाख टन म)									
क	फल	21.78	21.4	22.5	20.74	23.16	21.50	20.62	17.07	18.46
ख	साब्जिया	24.07	25.16	23.8	22.23	25.85	26.14	24.35	20.21	18.60
ग	कुल	45.85	46.56	46.3	42.97	49.01	47.64	44.97	37.28	37.06

7.2 विवरण 5.5 से पता चलता है कि उपरोक्त सभी अवधियों में मंडी की वित्तीय स्थिति सशक्त रही है। मंडी का मुनाफा 2021-22 में घटकर 16.68 करोड़ रुपये रह गया, जो उससे पिछले वर्ष 2020-21 में 28.34 करोड़ रुपये था। साथ ही, बाजार की कुल आवक पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में लगभग समान रही है। यह बाजार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सबसे अधिक आर्थिक रूप से व्यवहार्य बाजार समिति के रूप में उभरा है।

**चार्ट 5.4**  
**वर्ष 2013-14 से 2021-22 के दौरान एपीएमसी, (एमएनआई) आजादपुर की वित्तीय स्थिति**  
(लाख रुपये)



## 8. कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी), नरेला

8.1 लगभग 4 एकड़ क्षेत्र में फैले एपीएमसी, नरेला के खाद्यान बाजार की स्थापना 1959 में की गयी और यह दिल्ली में अनाज की सबसे बड़ी नियमित मंडी है। मंडी के अधिसूचित जिंसों में धान, गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, ज्वार, गुड़, चीनी, खाडसारी आदि शामिल हैं। इस मंडी में आवक मुख्य रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली से होती है। एपीएमसी नरेला का अधिसूचित बाजार क्षेत्र एपीएमसी-शाहदरा और एपीएमसी-नजफगढ़ के बाजार क्षेत्र को छोड़ कर रा.रा.क्षेत्र दिल्ली के सारे इलाके को कवर करता है। एपीएमसी नरेला में अनाज की आवक और पिछले नौ वर्षों के दौरान मंडी की वित्तीय स्थिति की जानकारी विवरणी 5.6 में दी गयी है।

### विवरण 5.6

#### 2013-14 से 2021-22 के दौरान एपीएमसी नरेला की वित्तीय स्थिति


(लाख रुपये में)

क्र.स.	शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	आय	5944.22	2682.91	2112.16	2342.44	2376.34	2296.59	2235.55	1899.36	1667.13
2.	व्यय	848.67	1071.97	1463.85	1089.31	1415.77	1346.02	1238.40	981.45	1127.11
3.	लाभ/हानि	5095.55	1610.94	648.31	1253.13	960.57	950.57	997.15	917.91	540.02
4.	अनाज की आवक (लाख टन)	4.46	6.03	6.48	5.31	6.16	5.42	-	4.12	3.70

8.2 विवरण 5.6 से पता चलता है कि एपीएमसी नरेला की अमादनी में 2015-16 से 2017-18 तक निरन्तर वृद्धि हुई और उसके बाद 2018-19 से इसमें लगातार कमी आई। इसी प्रकार मंडी का लाभ भी पिछले वर्ष के 9.18 करोड़ रुपये से घटकर 5.40 करोड़ रुपये रह गया। 2021-22 में मंडी में आवक 3.70 लाख टन दर्ज हुए। 2013-22 की अवधि में एपीएमसी नरेला की वित्तीय स्थिति की जानकारी चार्ट 5.5 में दर्शायी गई है।

### चार्ट 5.5

#### 2013-14 से 2021-22 के दौरान एपीएमसी नरेला की वित्तीय स्थिति



## 9. कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी), नजफगढ़

9.1 करीब 12 एकड़ में बाजार क्षेत्र के साथ एपीएमसी, नजफगढ़ की स्थापना भी 1959 में की गयी। इसमें धान, गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार, मक्का, गुड़, चीनी, खांडसारी जैसे कृषि जिन्सों का विपणन होता है। मंडी की कुल आवक में सबसे बड़ा हिस्सा हरियाणा से आने वाली जिन्सों का होता है, जिसकी भागीदारी 95 प्रतिशत है और बाकी 5 प्रतिशत जिन्स दिल्ली से आते हैं। पिछले नौ वर्षों में एपीएमसी नजफगढ़ की वित्तीय स्थिति और अनाज की आवक संबंधी जानकारी विवरण 5.7 में दी गई है।

### विवरण 5.7

#### 2013-14 से 2021-22 की अवधि में एपीएमसी नजफगढ़ की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	आय	355.74	340.24	300.59	317.1	389.44	514.94	437.62	363.62	392.85
2.	व्यय	337.34	606.1*	531.4	405.91	707.14	348.91	405.38	394.54	313.58
3.	लाभ/हानि	18.4	(-265.88)	(-230.81)	(-88.81)	(-317.70)	166.03	32.24	(-30.92)	79.27
4.	अनाज की आवक (लाख टन)	0.71	1	1.2	0.99	1.03	1.24	1.38	1.06	0.90


\*खर्च में बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 में सेवानिवृत्ति पर किये गए भुगतानों में भारी बढ़ोतरी के कारण हुई।

9.2 विवरण 5.7 से पता चलता है कि एपीएमसी, नजफगढ़ में अनाज की आवक 2017-18 की 1.03 लाख टन से बढ़कर 2019-20 में 1.38 लाख टन हो गई। परन्तु 2021-22 में यह घटकर 0.90 लाख टन रह गई जो 2020-21 में 1.06 लाख टन थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसे 0.79 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। 2013-14 से 2021-22 की अवधि में एपीएमसी नजफगढ़ की वित्तीय स्थिति चार्ट 5.6 में दर्शायी गई है।

### चार्ट 5.6

#### 2013-14 से 2021-22 के दौरान एपीएमसी, नजफगढ़ की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये)



## 10. कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी), शाहदरा

10.1 कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी), शाहदरा को फल और सब्जीमंडी गाजीपुर का नया नाम दिया गया है। 37.03 एकड़ क्षेत्र के साथ कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी), शाहदरा, गाजीपुर से कार्य करती है। इसमें फल एवं सब्जियां, चारा, अनाज, चीनी एवं खांडसारी जैसे जिनसां का व्यापार होता है। मंडी का कुल भू-क्षेत्रफल 37.03 एकड़ है। पिछले नौ वर्षों में मंडी की आय एवं व्यय तथा आवक संबंधी जानकारी विवरण 5.8 में दी गई है।

### विवरण 5.8

#### 2013-14 से 2021-22 की अवधि में एपीएमसी शाहदरा की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)


क्र.स.	शीर्ष	वर्ष								
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	आय	2867.23	499.05	511.68	548.53	679.95	746.65	1080.86	1002.93	1495.84
2.	व्यय	2749.62	510.73	1079.75	594.66	852.77	531.58	1033.23	847.40	1298.68
3.	लाभ/हानि	117.61	(-)11.68	(-)568.07	(-)46.13	(-)172.82	215.07	47.63	155.53	197.16
4.	फल एवं सब्जियों की आवक (लाख टन)	3.01	2.57	2.57	3.79	4.03	4.76	4.45	4.13	5.34

10.2 विवरण 5.8 से अनुमान लगाया जा सकता है कि 2021-22 के दौरान एपीएमसी, शाहदरा की आय में पिछले वर्ष की तुलना में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है, जो 2020-21 की 1.56 से बढ़कर 2021-22 में 1.97 करोड़ रुपये हो गई। इसी प्रकार पिछले वर्ष तुलना में चालू वर्ष में आय और व्यय में वृद्धि दर्ज हुई। एपीएमसी शाहदरा की वित्तीय स्थिति चार्ट 5.7 में दर्शायी गई है।

### चार्ट 5.7

#### 2013-14 से 2021-22 के दौरान एपीएमसी, शाहदरा की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)



## 11. कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी), केशोपुर

- 11.1 2001 में स्थापित केशोपुर कृषि उत्पाद विपणन समिति का बाजार क्षेत्र 15.58 एकड़ में फैला है। इसमें 244 दुकाने हैं जो फल एवं सब्जियों का विपणन करती हैं। पिछले नौ वर्षों के दौरान कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी), केशोपुर की वित्तीय स्थिति की जानकारी विवरण 5.9 में दी गई है।

### विवरण 5.9

#### 2013-14 से 2021-22 के दौरान एपीएमसी केशोपुर की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)


क्र.स.	शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	आय	1646.69	1328.87	936.95	874.68	921.36	955.25	1084.46	1104.32	938.83
2.	व्यय	455.14	836.46	901.01	550.53	737.81	607.02	613.66	611.35	644.54
3.	लाभ/हानि	1191.55	492.41	35.94	324.15	183.55	348.23	470.80	492.97	294.29
4.	फल एवं सब्जियों की आवक (लाख टन)	2.19	2.41	2.44	3.62	3.28	3.79	3.21	2.77	2.72

- 11.2 विवरण 5.9 से पता चलता है कि एपीएमसी केशोपुर की वित्तीय स्थिति में अध्ययन में शामिल अवधि के दौरान सकारात्मक रुझान रहा है। 2017-18 से 2020-21 की अवधि में मंडी की आय और लाभ में निरन्तर वृद्धि दर्ज हुई। परन्तु वर्ष 2021-22 में आय और लाभ पिछले वर्ष की तुलना में कमी दर्ज हुई। एपीएमसी केशोपुर की आमदनी और वित्तीय स्थिति का विवरण चार्ट 5.8 में दिया गया है।

### चार्ट 5.8

#### 2013-14 से 2021-22 के दौरान एपीएमसी केशोपुर की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये)



## 12. मछली, मुर्गा एवं अंडा विपणन समिति (एफपी एंड ईएमसी), गाजीपुर

12.1 वर्ष 1992 में स्थापित मछली, मुर्गा एवं अंडा विपणन समिति, गाजीपुर का संबंध मछली, पोल्ट्री और अंडों के कारोबार से है। इस समय गाजीपुर मंडी में 88 दुकानें पोल्ट्री उत्पादों के लिये और 196 दुकानें मछली बाजार के लिए बनायी गयी हैं। मछली बाजार 60,000 वर्गमीटर और पोल्ट्री बाजार 15,808 एकड़ में फैला है। पिछले नौ वर्षों में गाजीपुर मंडी में पोल्ट्री तथा अन्य उत्पादों यानी चिकन, अंडे और मछली की आवक संबंधी जानकारी विवरण 5.10 में दी गयी है।

### विवरण 5.10

#### गाजीपुर में 2013-14 से 2021-22 के दौरान पोल्ट्री उत्पादों और मछली की आवक

क्र.स.	वर्ष	कुल आवक (टन में)		
		पोल्ट्री	मछली	कुल
1.	2013-2014	55351	43040	98391
2.	2014-2015	86922	58873	145795
3.	2015-2016	109918	56774	166692
4.	2016-2017	108039	54153	162192
5.	2017-2018	105451	55287	160738
6.	2018-2019	91622	55610	147232
7.	2019-2020	90009	55225	145234
8.	2020-2021	71576	50464	122040
9.	2021-2022	73903	56502	130405

12.2 विवरण 5.10 से स्पष्ट है कि 2011 से 2016 के दौरान गाजीपुर मंडी में पोल्ट्री उत्पादों की आवक में हर वर्ष बढ़ोतरी हुई है लेकिन 2016-21 के दौरान इसकी आवक में कमी आई है। इसके विपरीत गाजीपुर मंडी में 2013-15 के दौरान मछली की आवक में मामूली बढ़ोतरी हुई लेकिन 2018-21 की अवधि में कमी दर्ज हुई। वर्ष 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में मुर्गी और मछली की आवक में वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-22 के दौरान एफपी एंड ईएमसी गाजीपुर की वित्तीय स्थिति विवरण 5.11 में दर्शायी गई है।

### विवरण 5.11

#### 2013-14 से 2021-22 के दौरान एफपीएंडईएमसी गाजीपुर की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये)


क्र.स.	शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	आय	1054.04	906.83	1275.28	1043.16	1140.89	1325.83	1062.28	1049.67	1397.76
2.	व्यय	795.47	1102.97	633.33	727.8	986.49	801.19	879.95	746.01	793.08
3.	लाभ/हानि	258.57	(-)196.14	641.95	315.36	154.40	524.64	182.33	303.66	604.68

12.3 मछली, मुर्गा एवं अंडा विपणन समिति, गाजीपुर की वित्तीय स्थिति के बारे में विवरण 5.11 से यह बात साफ है कि 2021-22 के दौरान समिति का लाभ बढ़कर 6.05 करोड़ रुपये हो गया, जो उससे पिछले वर्ष 3.04 करोड़ रुपये था। एफपीईएमसी गाजीपुर की वित्तीय स्थिति चार्ट 5.9 में दर्शायी गई है।

### चार्ट 5.9

2013-14 से 2021-22 के दौरान एफपीएंडईएमसी, गाजीपुर की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये)



### 13. फूल विपणन समिति (एफएमसी), महारौली

13.1 फूल विपणन समिति ने 1997 से महारौली की अपनी मुख्य मंडी में कार्य करना शुरू किया। इसकी दो उप-मंडियां दिल्ली के फतेहपुरी और कनॉट प्लेस में थीं। महारौली की फूल मंडी को अब फूलों के कारोबार की प्रमुख मंडी घोषित किया गया है। फूलों का व्यापार अभी अस्थाई आधार पर एक स्थान अर्थात् फल और सब्जी मंडी गाजीपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है। महारौली स्थित प्रमुख मंडी तथा फतेहपुरी और कनॉटप्लेस की उपमंडियों की अधिसूचना रद्द घोषित कर दी गयी है। गाजीपुर को फूल व्यापार के लिए प्रमुख मंडी घोषित किया गया है। पिछले नौ वर्षों के दौरान इस समिति की आय/व्यय की जानकारी विवरण 5.12 में दी गयी है।

### विवरण 5.12

2013-14 से 2021-22 के दौरान फूल मार्केट समिति महारौली की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र.स.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	आय	354.48	240.96	315.58	378.72	541.16	602.89	496.61	553.21	623.52
2.	व्यय	296.44	278.23	367.01	325.92	412.81	436.36	544.47	357.83	502.09
3.	लाभ/हानि	58.04	(-)37.27	(-)51.43	52.8	128.35	166.53	(-)47.86	195.38	121.43

13.2 विवरण 5.12 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एफएमसी महारौली की आय, व्यय और लाभ में 2021-22 के दौरान उससे पिछले वर्ष की तुलना में कमी दर्ज हुई। 2021-22 के दौरान एफएमसी को 121.43 लाख रुपये का लाभ हुआ।

### विवरण 5.13

फूल विपणन समिति आईएफसी गाजीपुर में 2013-14 से 2021-22 के दौरान फूलों की आवक

वर्ष	फूल (बंडलों में)	फूल (संख्या में)	फूल (किलोग्राम)	कुल
2013-14	19596501	2388875	15797293	37782669
2014-15	21212317	2221936	16470084	39904337
2015-16	20809760	2343992	19278616	42432368
2016-17	20076602	3529900	18686228	42292730
2017-18	26025962	23957774	20998495	70982231
2018-19	34347071	50833753	174028340	259209164
2019-20	27223246	54886803	24984656	107094705
2020-21	11644235	22765953	14774663	49184851
2021-22	18603054	38607100	23368739	80578893


13.3

विवरण 5.13 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एफएमसी महरौली में फूलों के आगमन में 2013-14 से 2018-19 के दौरान बढ़ोतरी दर्ज हुई जबकि 2019-20 से 2020-21 के दौरान इसमें कमी दर्ज हुई। 2013-22 के दौरान एफएमसी महरौली की वित्तीय स्थिति चार्ट 5.10 में दर्शायी गई है।

### चार्ट 5.10

2013-14 से 2021-22 के दौरान फूल मार्केट समिति महरौली की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)



## अध्याय एक नजर में

➤	2022–23 (अग्रिम अनुमान) में दिल्ली में व्यापार, होटल और रेस्तरां से आय प्रचलित मूल्यों पर 117417 करोड़ रुपये थी, जो दिल्ली के सकल राज्य मूल्य वर्धित (आधार वर्ष 2011–12) का लगभग 12.81 प्रतिशत है। पिछले 12 वर्षों के दौरान दिल्ली के सकल राज्य मूल्य वर्धन में इस क्षेत्र का योगदान 10 प्रतिशत से अधिक था।
➤	जीएसटी के तहत पंजीकृत डीलरों की संख्या 2006–07 (स्थानीय अधिनियम के तहत 189957 और केंद्रीय अधिनियम के तहत 170931) की तुलना में 2020–21 में बढ़कर 1052849 हो गई। इसी अवधि के दौरान, राजस्व रुपये 7601.56 करोड़ से बढ़कर रुपये 32543.72 करोड़ हो गया।
➤	दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (डीएएमबी) की स्थापना दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम 1976 के तहत 1977 में की गई। यह शीर्ष निकाय है। इसे बाद में 1998 में एक नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
➤	डीएएमबी की आय 2021–22 में उससे पिछले वर्ष की 51.23 करोड़ की तुलना में घटकर 46.84 करोड़ रह गई है। इसी तरह लाभ भी पिछले वर्ष के लाभ 17.52 करोड़ से घटकर 2021–22 में 9.74 करोड़ रह गया है।
➤	एमएनआई आजादपुर की कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) के तहत आजादपुर फल और सब्जी बाजार एशिया में सबसे बड़ा और दुनिया में सबसे बड़े सब्जी बाजारों में से एक है।
➤	एपीएमसी नरेला के तहत अनाज मंडी, जो लगभग 4 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है, 1959 में स्थापित की गई, जो और खाद्यान्न के लिए दिल्ली में सबसे बड़ा विनियमित बाजार है।
➤	लगभग 12 एकड़ के मुख्य बाजार क्षेत्र के साथ एपीएमसी नजफगढ़ 1959 में स्थापित किया गया था और इसमें धान, गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, ज्वार, गुड़, चीनी, खांडसारी आदि खाद्यान्न शामिल हैं।
➤	शाहदरा की कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) के पास 37.03 एकड़ क्षेत्र है जो गाजीपुर से संचालित हो रहा है और इसमें फल और सब्जियां, चारा, खाद्यान्न, चीनी और खांडसारी शामिल हैं।
➤	केशोपुर की कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) की स्थापना 2001 में 15.58 एकड़ क्षेत्र में की गई थी। इसमें फलों और सब्जियों की 244 दुकानें हैं।
➤	1992 में स्थापित मछली, कुक्कुट और अंडा विपणन समिति, गाजीपुर मछली, मुर्गी और अंडे से संबंधित है। वर्तमान में गाजीपुर में पोल्ट्री मार्केट की 88 और मछली मार्केट की 196 दुकानें हैं।